



सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) परीक्षा-2023
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 03/03/2023
इन्टरमीडिएट परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 03/04/2023
ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 06/04/2023

(1) यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित/आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।

विशेष सूचना :- (क) “बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।” (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नं० और मान्य ई-मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं० पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एस एम एस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई-मेल उनके मान्य ई-मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन-लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

1- आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर “ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENTS स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

(iii) Apply

“आन-लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम स्तर— Apply click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो “Edit” button पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit' button पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर— प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैंषन के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैंषन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् “Payment Acknowledgment Receipt (PAR)” प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

2. आवेदन शुल्क:- आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। **प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:-**

(v)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल/उत्कृष्ट खिलाड़ी :- अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ.प्र. लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनका प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका **Basic Registration** स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4. सबमिट किये गये आवेदन में संशोधन: आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित / वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

“अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् “Candidate Personal Details” Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं० (Registration No.), जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी का 'Authentication' OTP (One Time Password) के द्वारा होगा। OTP अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं० पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमत्य होगी।”

नोट:- ऑनलाइन आवेदन के जॉचोपरान्त यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र Submit किया है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा Submit अंतिम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जायेगा एवं शेष आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे। चूँकि आवेदन पत्र संशोधन की प्रक्रिया पूर्व प्रस्तर में विहित है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य/प्रदेश अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा-2023 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवानियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केंद्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

6. रिक्तियों की संख्या:- वर्तमान में सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 173 हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

रु0 9300—34800 ग्रेड पे रु 4600 (केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे रु. 4200) से रु. 15600—39100 ग्रेड पे रु 5400 तक (छठवें वेतन आयोग के अनुसार) के वेतनमान के पद सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित किये जाते हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :—

डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर), जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (कोषागार), गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' (विकास शाखा), अधीक्षक कारागार, प्रबन्धक ऋण (लघु उद्योग), प्रबन्धक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण (लघु उद्योग), अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1/सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग (विपणन), सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उप सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), यात्रीकर/मालकर अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, सहायक निबन्धक (सहकारिता), उप निबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2), जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उपकारापाल, प्राविधिक सहायक (भू-भौतिकी), प्राविधिक सहायक (भूतत्व), व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक (राज्य सम्पत्ति विभाग), प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग), रसायनज्ञ, विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) (खादी तथा ग्रामोद्योग) एवं विधि अधिकारी। उपर्युक्त पदों में से जिन पदों के अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है शेष पदों में से जिनके अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व प्राप्त हो जायेंगे, इस परीक्षा में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

7. आरक्षण : उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जन जातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा- उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट:- (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक- 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है:- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो। (2) शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक-26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/2006 दिनांक-09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है” को रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16-01-2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक-09-01-2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा. न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। (3) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-4 में मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (4) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें। (5) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। (7) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। (8) उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु समूह ‘ग’ के पदों की उपलब्धता होने की दशा में नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। (9) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वॉछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें:- (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो।

9. वैवाहिक प्रास्थिति:- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

10. शैक्षिक अर्हता :- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें। किन्तु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हतायें भी हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद		
क्र.सं.	पदनाम	अर्हताएं
1	उपनिबन्धक	विधि स्नातक
2	सहायक श्रमायुक्त	अर्थशास्त्र/समाज शास्त्र/वाणिज्य/विधि/श्रम संबंध/श्रम कल्याण/श्रम विधि/समाज कार्य/समाज कल्याण/व्यापार प्रबंधन/ कार्मिक प्रबंधन में परास्नातक उपाधि।

3	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान ग्रेड-2	(1) (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, या (ख) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से जिसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त से या घोषित किया गया हो, या (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि; और (1) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।
---	---	--

केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद

4	विधि अधिकारी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि। (2) सम्बन्धित विधिज्ञ परिषद या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बद्ध विधिज्ञ संघ (बार एसोसिएशन) में पंजीकरण और विधिज्ञ परिषद/विधिज्ञ संघ द्वारा निर्गत/प्रमाणित दो वर्षीय अनुभव प्रामाण पत्र।
5	प्राविधिक सहायक (भूतत्व)	(1) अनिवार्य अर्हता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ भूगर्भशास्त्र या प्रयोगिक भूगर्भशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, या इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स एण्ड एप्लायड जियोलोजी, धनबाद से प्रयोगिक भूगर्भशास्त्र में डिप्लोमा। (2) अधिमानी अर्हता:- शोध अनुभव या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संचालित क्षेत्र प्रशिक्षण।
6	प्राविधिक सहायक (भू-भौतिकी)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भू-भौतिकी, प्रायोगिक भू-भौतिकी, भूगर्भशास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भशास्त्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नात्कोत्तर उपाधि (बी.एस.सी. स्तर पर 'भौतिक शास्त्र, गणित के साथ)।
7	कर निर्धारण अधिकारी	55 प्रतिशत अंकों सहित कामर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।

नोट:- विशिष्ट शैक्षिक अर्हता के पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा स्पष्ट रूप से “हाँ” का विकल्प भरने पर ही उन्हें उक्त पदों हेतु विचार किया जायेगा।

11. शारीरिक मापदण्ड :- शारीरिक मापदण्ड वाले पदों जैसे पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमान्डेंट होमगार्ड्स, आबकारी निरीक्षक तथा उपकारापाल आदि उपलब्ध होने की दशा में सम्बन्धित सेवा नियमावली/अधियाचन के अनुसार उन पर शारीरिक मापदण्ड लागू रहेगा जो कि निम्नवत है :-

पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊंचाई (सेमी में)	सीना (सेमी में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	165	84	89
(दो) अनुसूचित जनजातियाँ	160	79	84
(तीन) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	152	लागू नहीं।	
(चार) अनुसूचित जनजातियां	147	लागू नहीं।	
(पांच) सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन	40 किग्रा	लागू नहीं।	

जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीना (से.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) पुरुष अभ्यर्थी	165	84	89
(दो) महिला अभ्यर्थी	150	79	84
(तीन) पुरुष अभ्यर्थी कुमायूँ और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160	84	89

अधीक्षक कारागार पद हेतु

(एक) ऊँचाई- 168 सेमी और कुमायूँ और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सेमी से कम नहीं।
(दो) सीने का घेरा 81.3 सेमी (बिना फुलाए) और 86.3 सेमी (फुलाने पर) (तीन) दृष्टि 6/6

आबकारी निरीक्षक पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीना (से.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) पुरुष अभ्यर्थी	167	81.2	86.2
(दो) महिला अभ्यर्थी (अनु. जाति/अनु.जन जाति)	147		
(तीन) अन्य महिला अभ्यर्थियों हेतु	152		

उपकारापाल पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीने की माप (बिना फुलाए)	सीने का फुलाव न्यूनतम (से.मी.)
1- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	168 से.मी.	81.3 से.मी.	05 से.मी.
2- महिला अभ्यर्थियों के लिए	152 से.मी.	वजन 45 से 58 कि.ग्रा.	

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में उँचाई की माप निम्नवत है:-

पुरुष - 160 से.मी.

महिला - 147 से.मी.

Cont...

नोट:- अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व भलीभाँति यह सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक योग्यतायें रखते हैं।

12. (1.) आयु सीमा:- अभ्यर्थियों को 1 जुलाई, 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई, 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट :- (क)** उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उप्र. राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। **(ग)** उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

13. सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें:- **(1)** प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ. प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0 200 /— एवं आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /—, योग रू0 225 /— तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रू0 80 /— एवं आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /— योग रू0 105 /— निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /— मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रू0 80 /— एवं आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /— योग रू0 105 /— निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला, कुशल/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। **(2)** सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमित/जमा करना होगा। **(3)** अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। **(4)** मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। **(5)** केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आधार पर सफल घोषित होंगे। **(6)** अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा। **(7)** विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएं साक्षात्कार के समय माँगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा एवं इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। **(8)** मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। **(9)** केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(10)** साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोट:- अभ्यर्थियों को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:- **(1)** उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। **(2)** आन—लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा, वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। 'गलत'/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। **(3)** हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा के) आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। **(4)** मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। **(5)** समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा—3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम

चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। **(6)** आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। **(7)** परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। **(8)** जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। **(9)** आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, मुख्य (लिखित) परीक्षा के आवेदन पत्र में वैकल्पिक विषय का उल्लेख न होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। **(10)** आयोग आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरांत संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। **(11)** कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। **(12)** आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। **(13)** नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। **(14)** प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्विरों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य (लिखित) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु तीन गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे। **(15)** याचिका सं0(सी)165/2005 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जाएगा। **(16)** ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। **(17)** अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। **(18) परीक्षा के समय अभ्यर्थी OMR Answer Sheet एवं उपस्थिति पत्रक पर मांगी गयी सूचना एवं सभी प्रविष्टियां, सही—सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये।** **(19)** OMR Answer Sheets दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। **(20)** प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी :- 1. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जाएगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा। **(21)** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे। **(22)** अभ्यर्थियों से सामान्य हिन्दी के अनिवार्य प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे। **(23)** प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा। अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा। **(24)** आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य/स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो। **(25) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी/कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।**

Cont...

सामान्य अनुदेश

1- अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जायेंगे।

2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें, किसी विवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर **(परिशिष्ट-3)** सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट / कुशल खिलाड़ियों को जो 03प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण / आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिये और तभी आवेदन करें जब सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7- यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बॉक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8- फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट-1** में दी गई है। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची **परिशिष्ट-2** पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप **परिशिष्ट-3** पर उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना **परिशिष्ट-4** पर, प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-5** पर तथा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अनुदेश एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-6** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form

At the top of the page there is a Declaration. The candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option either to agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to notification.

Personal Details:

This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, Candidate's Name, Father/Husband's Name, Gender, Date of Birth, UP domicile, Category, Marital Status, Email-ID and Contact Number.

Other Details of Candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical deformity.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details.

Candidate Address, Photo & Signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration Segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on “Preview” button. Preview page will

display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on “Submit” button to finally push data into server with successfully submission report that you can print. Otherwise using “Back” button option you can modify your details.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE “PRINT” OPTION AVAILABLE)

For Other Information:

For other information candidates are advised to select desired Option in 'Home Page' of Commisision's website **<http://uppsc.up.nic.in>**

CANDIDATE SEGMENT
NOTIFICATIONS/ADVTS.
ALL Notifications / Advertisements
ONLINE FORM SUBMISSION
1. Candidate Registration (FIRST STAGE)
2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)
3. Submit Application Form (THIRD STAGE)
APPLICATION FORM STATUS
Update your transaction ID by Double Verification mode
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Print Duplicate Registration Slip
Print Detailed Application Form
EXAMINATION SEGMENT
Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment]
DOWNLOAD SEGMENT
Download Admit Card
Download Interview Letter
Download Syllabus
Know Your Registration No.
Click here to view Key Answer Sheet

Regarding Application:

1- On clicking “View Application status” option in candidate Segment page you can see current status of candidate.

2- On clicking “Result” option in candidate Segment page candidate can see result status of periodically.

3- “Interview/Exam Schedule” option in candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.

4- On clicking “Key Answer Sheet” candidate can download key answer sheet.

5- On clicking “Admit Card/Hall Ticket” candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.

6- On clicking “List of Rejected Candidate” candidate can view rejected candidate list.

7- On clicking “Syllabus” candidate can view syllabus of particular examination.

[Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the On-line Application filled by them on-line or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.] [The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions]. UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:

On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to advertisement, after which the Web. Link will be disabled.

परिशिष्ट - 1

The Procedure relating to upload Photo & Signature:- Guide Lines for Scanning Photograph and Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
2. Scan the required size photograph and signature. Please do not scan the complete page.
3. The required image dimension is W * H (3.5 cm by 4.5 cm).
4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 35 KB, and stored in .jpg, jpeg extension file only.

5. If the size of the file is more than 35 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.

6. The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identify, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.

7. The signature must be signed only by the application and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Upload your Photograph and Signature:-

1. Please upload only .jpeg, .jpg extention file.

2. Size of the scanned image is not more than 35 KB.

3. Image dimension W * H (3.5 CM * 4.5 CM).

4. Scan and upload the Signature.

Upload Scanned Photo and Signature File

Select a Latest Colored Photo

witdh= 3.5 cm

Height = 4.5 cm

Photo

Select a Latest Colored Signature

witdh= 3.5 cm

Ht = 1.5 cm

परिशिष्ट – 2

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:—

(1) आगरा, (2) अयोध्या, (3) आजमगढ़, (4) बाराबंकी, (5) बरेली, (6) गाजियाबाद, (7) गोरखपुर, (8) जौनपुर, (9) झांसी, (10) कानपुर नगर, (11) लखनऊ, (12) मथुरा, (13) मेरठ, (14) मिर्जापुर, (15) मुरादाबाद, (16) प्रयागराज, (17) रायबरेली, (18) सीतापुर, (19) वाराणसी, (20) अलीगढ़, (21) बस्ती, (22) बुलंदशहर, (23) इटावा, (24) गाजीपुर, (25) हरदोई, (26) ज्योतिबाफूले नगर, (27) महाराजगंज, (28) मैनपुरी, (29) मुज्जफरनगर, (30) सहारनपुर, (31) शाहजहाँपुर, (32) देवरिया, (33) मऊ, (34) बौदा, (35) सुल्तानपुर, (36) फतेहपुर, (37) बलिया, (38) ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), (39) रामपुर और (40) गोण्डा।

परिशिष्ट-3

उ.प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है। स्थान.....हस्ताक्षर.....दिनांक.....पूरा नाम.....मुहर.....पद का नाम.....जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्रामतहसीलनगरजिला.....में सामान्यतया रहता है। स्थान.....हस्ताक्षर.....दिनांक.....पूरा नाम.....मुहर.....पद का नाम.....जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....दिनांक.....

वित्तीय वर्ष.....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पति/पुत्री.....

ग्राम/कस्बा.....पोस्ट ऑफिस.....थाना.....

तहसील.....जिला.....राज्य.....

पिन कोड.....के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 5(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फिट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....के सदस्य है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम.....

पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम/कस्बा.....पोस्ट ऑफिस.....थाना.....ब्लाक.....तहसील.....जिला.....राज्य.....ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं.....जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु.....(शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम).....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फिट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट: जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

दिनांक :-

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रामाण-पत्र

(दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate Of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.son/wife/daughter of ShriDate of Birth (DD/MM/YY)Ageyears, male/femaleregistration No.permanent resident of House No.Ward/Village/ Street.....Post officeDistrictState

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

A. he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is(A) he/she has% (in figure)percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her(part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....)Member Medical Board with seal

(Dr.....)Member Medical Board with seal

(Dr.....)Chairperson Medical Board with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Cont...

Page No. - 5

Form-III

Certificate Of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) age years, male/female Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-
In figures percent.
In words percent.

2. This condition is progressive/non-progressive/likly to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :-
(i) not necessary.
or
(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
e.g. Single eye
£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate Of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined,

Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of disability. His/her extent of percentage physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)
2. The above condition is progressive/non-progressive/liklye to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is :-
(i) not necessary.
or
(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
e.g. Single eye/both eyes
£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Cont...

Page No. - 6

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... निवासी..... ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... जिलाधिकारी..... सील.....	प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाररेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक..... तक(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की(क्रीडा/खेल -कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... सस्था का नाम..... मुहर..... नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।																											
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप - 1 (मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी..... पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक..... (स्थान का नाम) में आयोजित(क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान..... हस्ताक्षर दिनांक..... नाम पद सस्था का नाम मुहर..... नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।	परिशिष्ट - 4 परीक्षा की योजना सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2023 हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं यथा : (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की), (2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा) (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा) प्रारम्भिक परीक्षा सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों की होगी। जिनके उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. सीट के रूप में होंगे। सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट - 5 में उल्लिखित है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र 200 अंकों के तथा दो -दो घण्टे अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाहन 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्नपत्र अपराह्न 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक। नोटः (1) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। (2) मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा। (3) अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा। 2. सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए निर्धारित विषय : मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट- 6 में उल्लिखित हैं। <table><tr><th colspan="3">(अ) अनिवार्य विषय</th></tr><tr><td>1. सामान्य हिन्दी</td><td>परम्परागत</td><td>150 अंक</td></tr><tr><td>2. निबन्ध</td><td>परम्परागत</td><td>150 अंक</td></tr><tr><td>3. सामान्य अध्ययन - I</td><td>परम्परागत</td><td>200 अंक</td></tr><tr><td>4. सामान्य अध्ययन - II</td><td>परम्परागत</td><td>200 अंक</td></tr><tr><td>5. सामान्य अध्ययन - III</td><td>परम्परागत</td><td>200 अंक</td></tr><tr><td>6. सामान्य अध्ययन - IV</td><td>परम्परागत</td><td>200 अंक</td></tr><tr><td>7. सामान्य अध्ययन - V</td><td>परम्परागत</td><td>200 अंक</td></tr><tr><td>8. सामान्य अध्ययन - VI</td><td>परम्परागत</td><td>200 अंक</td></tr></table> सभी प्रश्न- पत्र परम्परागत (Conventional) प्रकार के होंगें। इन प्रश्न-पत्रों के हल करने की अवधि 3 घन्टे होगी। सामान्य अध्ययन के प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा। नोट : (1) 3 घण्टे वाले प्रश्नपत्र का परीक्षा समय पूर्वान्ह 9.30 बजे से 12.30 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। अभ्यर्थी से सामान्य हिन्दी के प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे। (ब) व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार (कुल अंक 100) यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये सामान्य अभिरुचि के विषयों से सम्बन्धित होगी।	(अ) अनिवार्य विषय			1. सामान्य हिन्दी	परम्परागत	150 अंक	2. निबन्ध	परम्परागत	150 अंक	3. सामान्य अध्ययन - I	परम्परागत	200 अंक	4. सामान्य अध्ययन - II	परम्परागत	200 अंक	5. सामान्य अध्ययन - III	परम्परागत	200 अंक	6. सामान्य अध्ययन - IV	परम्परागत	200 अंक	7. सामान्य अध्ययन - V	परम्परागत	200 अंक	8. सामान्य अध्ययन - VI	परम्परागत	200 अंक
(अ) अनिवार्य विषय																												
1. सामान्य हिन्दी	परम्परागत	150 अंक																										
2. निबन्ध	परम्परागत	150 अंक																										
3. सामान्य अध्ययन - I	परम्परागत	200 अंक																										
4. सामान्य अध्ययन - II	परम्परागत	200 अंक																										
5. सामान्य अध्ययन - III	परम्परागत	200 अंक																										
6. सामान्य अध्ययन - IV	परम्परागत	200 अंक																										
7. सामान्य अध्ययन - V	परम्परागत	200 अंक																										
8. सामान्य अध्ययन - VI	परम्परागत	200 अंक																										
प्रारूप- 3 (मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... निवास (पूरा नाम) आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... विश्वविद्यालय की कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक..... तक(स्थान का नाम) में आयोजित अर्न्तविश्वविद्यालय (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद.....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... सस्था का नाम..... मुहर..... नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।	Cont....																											

